

नरिवाचन पैनल की स्वतंत्रता की रक्षा

यह एडिटरियल 17/08/2023 को 'हृदिसूतान टाइम्स' में प्रकाशित ["Safeguard the election panel's independence"](#) लेख पर आधारित है। इसमें नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्तियों में हाल के बदलावों और नरिवाचन पैनल की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

मुख्य नरिवाचन आयुक्त, [मुख्य नरिवाचन आयुक्त \(CEC\)](#) और अन्य नरिवाचन आयुक्तों का चयन, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [अनुच्छेद 324](#)।

मेन्स के लिये:

मुख्य नरिवाचन आयुक्त का चयन, इसका महत्त्व एवं संबंधित चिंताएँ, नरिवाचन आयोग की स्वतंत्रता।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में [मुख्य नरिवाचन आयुक्त और अन्य नरिवाचन आयुक्त \(नयुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि\) विधियक, 2023](#) पेश किया गया, जिस पर विवाद छड़ी गया है। जारी चर्चा का एक बड़ा भाग इस तथ्य पर केंद्रित है कि यह विधियक [मुख्य नरिवाचन आयुक्त \(CEC\)](#) के चयन के लिये स्थापित उस तंत्र को प्रतस्थापित करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने [अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ \(2023\)](#) मामले में अभी कुछ माह पूर्व ही नरिधारित किया था।

अनूप बरनवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- इस मामले में जारी आदेश में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि [मुख्य नरिवाचन आयुक्त](#) का चयन एक तीन-सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना चाहिये जिसमें शामिल होंगे:
 - प्रधानमंत्री
 - लोकसभा में वपिकष के नेता
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा था कि यह अस्थायी व्यवस्था होगी, जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून पारित नहीं कर देती।

इस संबंध में संविधान में उल्लिखित प्रावधान:

[अनुच्छेद 324](#) का खंड 2 मुख्य नरिवाचन आयुक्त (CEC) और अन्य नरिवाचन आयुक्तों (ECs) की नयुक्तियों की शक्ति राष्ट्रपति में नहित करता है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है।

- हालाँकि संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है जो CEC और ECs की नयुक्तियों के लिये राष्ट्रपति की (यानी कार्यपालिका की) शक्तियों को प्रभावी ढंग से स्थायी बनाता हो।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पाया कि कार्यकारी को CEC की नयुक्ति करने की शक्ति सौंपना वस्तुतः भारत नरिवाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता के साथ असंगत था।
 - इसका कारण स्पष्ट है: [संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका सत्तारूढ़ दल से आकार ग्रहण करती है और इसलिये यह चुनावी खेल में एक खिलाड़ी की हैसियत रखती है।](#)
 - इसलिये कार्यपालिका को CEC की नयुक्तियों की शक्ति सौंपना एक खिलाड़ी को रेफरी की नयुक्ति करने की शक्ति सौंप देने के समान है।

नरिवाचन आयुक्त विधियक से संबद्ध मुद्दे:

- कार्यकारी सर्वोच्चता प्रदान करना: नरिवाचन आयुक्त विधियक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट

मंत्रि को रखने का प्रस्ताव किया गया है जो फरि कार्यपालिका को नरिवाचन आयुक्तों की नयिकृति के वषिय में स्पष्ट बहुमत और इस प्रकार नरिणायक अधिकार प्रदान करती है।

○ इस वधियक के अनुसार चयन समिति में शामिल होंगे:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसभा में वपिक्ष के नेता (सदस्य)
- प्रधानमंत्री द्वारा नामति एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (सदस्य)

■ संवधान नरिमाताओं की इच्छा के वरिद्ध:

○ संवधान नरिमाताओं की मंशा ECI की स्वतंत्रता को सुरक्षति और गारंटीकृत करने की थी। यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रपति (कार्यकारी) को एक तदर्थ व्यवस्था (stop-gap arrangement) के रूप में ECs की नयिकृति करने की शक्ति प्रदान की थी, जहाँ उम्मीद की गई थी कि संसद एक ऐसा कानून बनाएगी जो ECI की स्वतंत्रता को सुरक्षति और गारंटीकृत करेगी।

• यह वधियक कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार संवधान नरिमाताओं द्वारा परकिलपति एक स्वतंत्र ECI के वधियक को बाधति करता है।

■ एक अंपायर जो टीम कैप्टन के अधीनस्थ है: एक पूर्व मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने कहा है कि नए वधियक का सबसे चतिजनक पहलू यह है कि नरिवाचन आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य नरिवाचन आयुक्त की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समकक्ष होने से घटाकर कैबिनेट सचवि के स्तर का कर दिया गया है।

○ उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट सचवि प्रत्यक्षतः सरकार के अधीन होता है। इसलिये नरिवाचन आयोग जैसी संवधानिक संस्था, जिससे अपेक्षा है कि आवश्यकता पड़ने पर वह प्रधानमंत्री और मंत्रपरिषद के सदस्यों से भी अनुशासन की मांग कर सकता है, उसे कैबिनेट सचवि के स्तर का कैसे बनाया जा सकता जो स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होता है?

भारत में नरिवाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की आवश्यकता:

■ नषिपक्षता और न्याय: नरिवाचन आयुक्त संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार होता है, जिसमें चुनाव का आयोजन, नरिवाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता पंजीकरण जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह पद नषिपक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का समान एवं नषिपक्ष अवसर प्राप्त हो।

○ जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिराक ओबामा ने कहा था, “मत देने का अधिकार पवतिर अधिकार है। इसी के माध्यम से हम अपने नेताओं को चुनते हैं और अपना भाग्य नरिधारति करते हैं।” इसलिये, लोकतंत्र में नषिपक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

■ हेरफेर की रोकथाम: एक स्वतंत्र नरिवाचन आयुक्त चुनावी प्रक्रिया में किसी भी हेरफेर या पूर्वाग्रह को रोकने में मदद करता है। यदि यह सत्तारूढ़ दल या किसी अन्य राजनीतिक इकाई से प्रभावति होगा तो इससे चुनावी कदाचार की स्थिति बन सकती है, जैसे मतदाता का दमन, चुनाव-क्षेत्र के सीमा परिवर्तन (gerrymandering) या चुनाव परिणामों के साथ छेड़छाड़।

○ उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में पाकस्तान के नरिवाचन आयोग को धाँधली और सैन्य प्रतषिठान के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिससे चुनाव परिणामों की वैधता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

■ लोगों का विश्वास: एक स्वतंत्र नरिवाचन आयुक्त चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास का नरिमाण करने और इसे बनाए रखने में मदद करता है। जब लोग मानते हैं कि चुनाव नषिपक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजति किये जा रहे हैं तो उनकी भागीदारी की और परिणामों को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही उनका पसंदीदा उम्मीदवार या दल न जीते।

○ उदाहरण के लिये वर्ष 2007 में केन्या में एक वविदति राष्ट्रपति चुनाव के बाद (जिसमें व्यापक धाँधली और अनयिमतिता देखी गई थी) हसिा भड़क गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 6,00,000 से अधिक लोग वसिथापति हुए।

■ वधि का शासन: नरिवाचन आयुक्त की स्वतंत्रता वधि के शासन के सिद्धांत को कायम रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि चुनावी प्रक्रियाएँ मनमाने नरिणयों या राजनीतिक दबाव के अधीन होने के बजाय स्थापति वधियों और वनियमों के अनुसार संपन्न की जा रही हैं।

■ नयितरण और संतुलन: लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण और ‘नयितरण एवं संतुलन’ की उपस्थिति आवश्यक है। एक स्वतंत्र नरिवाचन आयुक्त सरकार की कार्यकारी और वधिधी शाखाओं की शक्तियों पर एक नयितरण के रूप में कार्य करता है, जहाँ सुनिश्चित होता है कि राजनीतिक लाभ के लिये चुनावों में हेरफेर नहीं की जा रही है।

■ दीर्घकालिक स्थिरता: एक स्वतंत्र नरिवाचन आयुक्त, चुनावी प्रक्रिया की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। यदि यह पद बार-बार परिवर्तन या राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन होगा तो यह चुनावों की वशिवसनीयता को कमज़ोर कर सकता है और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है।

○ उदाहरण के लिये टीएन शेपन—जन्होंने वर्ष 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य नरिवाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया था, को भारत में चुनाव सुधारों का आरंभ करने का व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है जिसने भारतीय चुनावों का चेहरा बदल दिया।

• उन्होंने संवधान में नरिधारति शक्तियों के अनुरूप नरिवाचन आयोग की अधिकारिता स्थापति की और चुनावों के दौरान प्रचलति 150 कदाचारों की एक सूची पेश की, जैसे शराब का वतिरण, मतदाताओं को रशिवत देना, दीवार-लखिाई से चुनाव प्रचार, चुनावी भाषणों में धर्म का उपयोग आदि।

• उन्होंने नरिवाचन संबंधी नयिमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को भी चुनौती दी और उनके वरिद्ध सख्त कार्रवाई की।

• एक स्वतंत्र और नडिर नरिवाचन आयुक्त के रूप में उनकी वरिसत ने कई अन्य लोगों को उनके पदचिह्न पर चलने तथा भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिये प्रेरति किया है।

■ अंतरराष्ट्रीय मानक: एक स्वतंत्र नरिवाचन आयोग की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में बरकरार रखा गया है। कई लोकतांत्रिक देशों ने चुनावों की नगिरानी के लिये स्वतंत्र नकियाय स्थापति किये हैं और भारत नरिवाचन आयोग भी इन वैश्विक मानकों के साथ तालमेल रखने पर लक्षति है।

आगे की राह:

- सरकार को चयन समिति की संरचना की समीक्षा करनी चाहिये और इसे अधिक संतुलित बनाने पर विचार करना चाहिये। इसमें नष्पिक्ष नरिणय लेने की प्रक्रिया सुनश्चिति करने के लिये वपिक्ष को अधिक संतुलित शक्ति सौंपना शामिल हो सकता है।
 - उदाहरण के लिये, वपिक्ष को चयन समिति में समान सीटें, वीटो शक्ति या रोटेशनल अध्यक्षता सौंपी जा सकती है। इससे यह सुनश्चिति होगा कि चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण या सत्तारूढ़ दल से प्रभावित नहीं होगी।
- चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये सरकार को स्वतंत्र विशेषज्ञों, न्यायवर्तियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को खोज समिति (search committee) में या चयन समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल करना चाहिये। उनकी उपस्थिति प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में मदद कर सकती है।
 - सरकार इन हतिधारकों को शामिल कर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास की वृद्धि कर सकती है। वे उम्मीदवारों की गुणवत्ता और उपयुक्तता में सुधार के लिये मूल्यवान अंतरदृष्टि, प्रतिक्रिया और अनुशासन भी प्रदान कर सकते हैं।
- नवीन वधियक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को वपिक्षी दलों, वधि विशेषज्ञों और हतिधारकों के साथ गहन परामर्श करना चाहिये ताकि विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके और नहि चिंताओं को उपयुक्त रूप से हल किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न: नरिवाचन आयुक्त की स्वतंत्रता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए हाल ही में प्रस्तुत किये गए 'मुख्य नरिवाचन आयुक्त और अन्य नरिवाचन आयुक्त (नयिक्त्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) वधियक, 2023' से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकियाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित विवाद नपिटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)